खण्ड - छः

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी/उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणीयों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है:–

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
8. ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय कमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका-1

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को कमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिश्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं

को कमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू 819.65/– लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू 2973.21/– लाख प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति		नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	स्थापना – 34 संचालन – 37	} 71	225
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	247		390
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	255		203
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	118		231
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	19		47
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	43		89
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	97		114
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	40		57
	कुल	**890**		**1356**

5.2 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	101
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	69
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	27
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	70
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	39
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	33
	कुल	**339**

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	204
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	140
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	139
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	250
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	138
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	46
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	70
	कुल	**987**

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेशित किये गये :–

तालिका -5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग–भिलाई	162
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	40
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	48
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	11
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	01
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	101
	कुल	**405**

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका -6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी. एम.	आर.एस. पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	995	299	1992	1992
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	236	226	472	472
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	354	958	1916	1916

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	–	1043	846	846
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	564	567	–	–
	कुल	**2149**	**3093**	**5226**	**5226**

(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका - 7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	169	195
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	26	97
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	निरंक	43
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	निरंक	15
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	04	24
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	34	235
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	42	05
	कुल	**275**	**614**

5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन, 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :–

तालिका -8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	20

5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका -9

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	170	293
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	21	225
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	10	04
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	27	–
5.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	84	314
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	16	22
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	27	94
	कुल	**355**	**952**

6. न्यायालयीन कार्यवाही :-

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार मान. उच्चतम न्यायालय, मान. उच्च न्यायालय एवं मान. एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका -10

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मान. उच्चतम न्यायालय	मान. उच्च न्यायालय	मान. एन.जी.टी.
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	–	07	–
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	–	17	04
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	04	02	02
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	–	–	–
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	–	03	–
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	–	04	01
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	02	02	01
	कुल	**06**	**35**	**08**

7. **परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016** इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 67
2. नवीनीकरण – 35

8. **जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 1099
2. नवीनीकरण – 140

9. **ध्वनि स्तर मापन:-** मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 414 है।

10. **ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन:-** मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 102 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

11. **17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित:-** मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कंटीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों मे उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।

12. **वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2019-20 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :**

तालिका -11

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	2,71,886
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	2,08,000

क्रं	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	3,19,000
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	4,60,688
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	2,83,819
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	3,14,570
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	1,26,536
	कुल	**19,84,499**

13. **भारत माता इग्लिश मीडियम स्कूल बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ईको-क्लब का पुरस्कार-** भारत माता इग्लिश मीडियम स्कूल बिलासपुर के ईको–क्लब को उत्कृष्ट कार्य के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ईको–क्लब का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर को गुजरात के केवडिया में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली श्री अरविन्द नौटियाल द्वारा इन्हें रूपये पचास हजार की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे पद्मश्री डॉ अनिल प्रकाश जोशी एवं श्री जाधव पयांग भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी ईको–क्लब के सफल संचालन के लिये ऐप्रीशियेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया।

14. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के तहत ईको-क्लब का गठन।

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। राज्य में 6 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

15. राज्योत्सव के अवसर पर विभागीय प्रदर्शनी

दिनांक 01 से 05 नवम्बर 2019 तक विज्ञान महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा विभागीय प्रदर्शनी लगाई गयी। इस प्रदर्शनी में मण्डल द्वारा अपने कार्यकलाप, गतिविधियॉ एवं उपलब्धियॉ प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मान. श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, तत्कालीन विशेष सचिव, सुश्री संगीता पी. मण्डल के सदस्य सचिव श्री आर.पी.तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मण्डल द्वारा वायु व ध्वनि प्रदूषण मापन का कार्य भी किया गया।

16. जन जागरूकता अभियान :-

1. 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन।

05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ''करेंगे संग वायु प्रदूषण से जंग'' विषय पर नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन्स रायपुर में संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मान. मंत्री आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री मोहम्मद अकबर के मुख्य आतिथ्य एवं श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक रायपुर ग्रामीण, विधानसभा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक द्वय श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक रायपुर उत्तर, विधानसभा एवं श्री विकास उपाध्याय, विधायक रायपुर पश्चिम, विधानसभा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में आई.आई.एम. के डायरेक्टर प्रो. भारत भास्कर, नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ एस.के. गोयल व मण्डल के सदस्य सचिव श्री आर.पी. तिवारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मण्डल द्वारा स्कूली व महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं की पोस्टर व क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किये गये।

2. **अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन -**

दिनांक 16 सितम्बर, 2019 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा स्कूली महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिये नवीन विश्राम गृह, रायपुर में पोस्टर एवं पर्यावरणीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को मंडल के सदस्य सचिव श्री आर.पी. तिवारी ने नगद पुरस्कार वितरित किये।

3. **02 अक्टूबर गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा पर अनेक कार्यक्रम -**

एन.आई.टी. रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एन.आई.टी. की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वच्छता ही सेवा एवं नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक पर जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मण्डल के सदस्य सचिव, श्री आर.पी. तिवारी एवं एन.आई.टी. रायपुर के डायरेक्टर, डॉ ए.एम. रवानी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण मण्डल द्वारा प्लास्टिक – पर्यावरण पर गहराता संकट पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में एन.आई.टी. में आयोजित वाद–विवाद, निबंध, क्विज एवं पोस्टर मेंकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात एन.आई.टी कैम्पस की साफ–सफाई की गई।

17. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

तालिका -12

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में	जल उपकर शुल्क रू. लाख में	राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019	819.65	2973.21	निरंक	निरंक